JALAUN POLICE

दिनांक – 19.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- अभियुक्त मान सिंह पुत्र लल्लू कुशवाहा नि0 ग्राम घूरट थाना कोटरा जनपद जालौन द्वारा वादिनी के घर में घुसकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज कर मारपीट करना व जान से मारने देने के सम्बन्ध में वादिनी कु0 रानी पुत्री चन्द्रशेखर की तहरीर के आधार पर दिनांक 18.10.2020 को थाना कोटरा पर मु0अ0सं0 65/2020(वाद संख्या 18/21) धारा 325/504 भादवि व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 12.11.2020 को आरोप पत्र मान0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.01.2026 को मा0 न्यायालय एससी एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मान सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।